

15/9/17

वकील जार्जी एव जार्जी शक्य अनुपस्थित। वकील
जार्जी उपस्थित। वकील जार्जी ने निवेदन किया कि
जार्जी एव जार्जी वकील की अनुपस्थिति में प्रकरण (बालि)
किया जावे। जार्जी एव जार्जी वकील के उपलब्ध होने
तक बंद कर डाला कि जाई गई परन्तु उनकी
आवेदन को अदालत उपस्थित नही आया अतः
प्रकरण अदालत के अदम एंजिरी में खालि किया
जाता है। मिसल केसल शुमार दोकर नम्बर है कम
है दफ्तर कारिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

